न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – राकेश कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या **018/2011 (रेफरेंस)** **(GCMS 2011/00004)**	दायर दिनांक **22.06.2011**	निर्णय दिनांक **01.02.2024**

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. शंकर पिता धन्ना लौहार निवासी सेठवाना तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।
2. बाबरू पिता धन्ना लौहार निवासी सेठवाना तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।
3. हीरालाल पिता धन्ना लौहार निवासी सेठवाना तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।
4. सोहनलाल पिता धन्ना लौहार निवासी सेठवाना तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।
5. राधाकिशन पिता धन्ना लौहार निवासी सेठवाना तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।
6. नानी पिता धन्ना लौहार निवासी सेठवाना तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।
7. शंकरी पिता धन्ना लौहार निवासी सेठवाना तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 एवं धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

उपस्थिति :– भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता) प्रार्थी
एसएल बसेर अप्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम सेठवाना की आराजी संख्या 820 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा वक्त सेटलमेंट नाला/नाली/तलाई/नाडी की दर्ज होकर राजकीय भूमि थी, जो कि अन्य निजी व्यक्तियों को आवंटन नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि यह नाला नाला/नाली/तलाई/नाडी की आराजी है, तथा नाला/नाली/तलाई/नाडी के रूप में ही उपयोग हो सकती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऐसी आराजी पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है तथा ऐसा आवंटन राजस्व अधिकारी द्वारा किया गया है तो वो नल एण्ड वोईड होकर प्रभाव शून्य है। तहसीलदार डूंगला द्वारा उक्त नाला/नाली/तलाई/नाडी की भूमि को नामान्तरकरण संख्या 85 दिनांक 11.08.1966 को धन्ना पिता मोती लुहार निवासी सेठवाना के नाम दर्ज कर दी गई जो नियमों के विपरित होने से पुनः बिलानाम सरकार दर्ज की जावे ऐसा नियमन नल एण्ड वोईड होकर शून्य प्रभावी है क्योंकि बिलानाम नाला/नाली/तलाई/नाडी नियमन नहीं हो सकता है। उक्त भूमि वर्तमान जमाबंदी संवत् 2065–68 के खाता संख्या 277 अनुसार अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है जो कि इनके पास जरिये विरासत से दर्ज हुई है। रेफरेन्स वाद (भूमिधारी तहसीलदार) सरकार की और से होकर न्यायालय शुल्क से मुक्त होकर श्रीमान् के श्रवणाधिकार की होकर मय सम्मन् राजस्व रेकार्ड के साथ संलग्न है। अतः नामान्तरकरण संख्या 85 दिनांक 26.12.1966 को निरस्त फरमावें। अंत में प्रार्थना की गई कि रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजी (विपक्षी) की खातेदारी निरस्त की जाकर पुनः बिलानाम दर्ज करने का विधि अनुकूल आदेश पारित किया जावे।

इस पर प्रार्थी तहसीलदार के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। इस पर दिनांक 17.04.2013 को अप्रार्थीगण की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 31.07.2013 को अप्रार्थीगण की और से जवाब पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि आराजी संख्या 820 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा वक्त सेटलमेंट नाला दर्ज होने की बात गलत है तथा मौके पर कभी नाला नही रहा। मौके पर आराजी संख्या 820 खेत होकर फसल बो रखी है। जिंसवारी में भी फसल दर्ज है। भूमि खातेदारी में दर्ज होकर अप्रार्थीगण को विरासत में प्राप्त हुई। अप्रार्थीगण को कोई आवंटन नहीं हुआ है। खातेदारी भूमि होने से विरासत से अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। नक्शाट्रेस में भी मौके पर नाला दर्ज नहीं है। भूमि बिलानाम सरकार कभी नहीं रही तथा नहीं नियमन से कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। अप्रार्थीगण पुश्तैनी तौर से 50 सालों से अधिक समय से बतौर खातेदार होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। तहसीलदार डूंगला द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस आवेदन निराधार है कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किये मौके पर कोई मौका पर्चा आराजी से संबंधी नाला होकर नहीं बताया। मात्र राजस्व रेकार्ड के किस्म में गलत इन्द्राज से आवेदन पेश किया जो निरस्त योग्य है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया नहीं अप्रार्थी उक्त प्रकरण में पक्षकार है निर्णय के अनुसार न तो मौके पर सर्वे किया एवं नहीं कोई विधिवत रेफरेंस हेतु कार्यवाही की। इस कारण कार्यवाही समाप्त फरमाई जावें। अन्त में प्रार्थना की गई कि जवाब रेफरेंस पेश है स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार डूंगला द्वारा गांव सेठवाना तहसील डूंगला की आराजी संख्या 820 के संबंध में प्रस्तुत रेफरेन्स आवेदन निराधार होने से निरस्त फरमाया जावें।

दिनांक 01.02.2024 को राजकीय अधिवक्ता एवं अधिवक्ता विपक्षी हाजिर आये एवं प्रकरण में बहस पत्रावली का निवेदन किया गया। इस पर उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि ग्राम सेठवाना की आराजी संख्या 820 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा वक्त सेटलमेंट नाला/नाली/तलाई/नाडी की दर्ज होकर राजकीय भूमि थी, जो कि अन्य निजी व्यक्तियों को आवंटन नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि यह नाला नाला/नाली/तलाई/नाडी की आराजी है, तथा नाला/नाली/तलाई/नाडी के रूप में ही उपयोग हो सकती है। ऐसी आराजी पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है तथा ऐसा आवंटन राजस्व अधिकारी द्वारा किया गया है तो वो नल एण्ड वोईड होकर प्रभाव शून्य है। वह माननीय न्यायालय राजस्थान हाई कॉर्ट जोधपुर के प्रकरण संख्या डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के आदेश दिनांक 02.08.2004 में अंकित बिन्दु संख्या 01 व 04 के विरूद्ध होने से नदी/नाला/कैचमेंट एरिया एवं पेटा के प्राकृतिक स्वरूप को नहीं बदल 15 अगस्त 1947 के रिकार्ड एवं मौके की स्थिति रखने के आदेश पारित किये गये है

इस पर विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि आराजी संख्या 820 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा वक्त सेटलमेंट नाला दर्ज होने की बात गलत है तथा मौके पर कभी नाला नही रहा। मौके पर आराजी संख्या 820 खेत होकर फसल बो रखी है। जिंसवारी में भी फसल दर्ज है। भूमि खातेदारी में दर्ज होकर अप्रार्थीगण को विरासत में प्राप्त हुई। अप्रार्थीगण को कोई आवंटन नहीं हुआ है। खातेदारी भूमि होने से विरासत से अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। नक्शाट्रेस में भी मौके पर नाला दर्ज नहीं है। भूमि बिलानाम सरकार कभी नहीं रही तथा नहीं नियमन से कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। अप्रार्थीगण पुश्तैनी तौर से 50 सालों से अधिक समय से बतौर खातेदार होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। तहसीलदार डूंगला द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस आवेदन निराधार है कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किये मौके पर कोई मौका पर्चा आराजी से संबंधी नाला होकर नहीं बताया। मात्र राजस्व रेकार्ड के किस्म में गलत इन्द्राज से आवेदन पेश किया जो निरस्त योग्य है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया नहीं अप्रार्थी उक्त प्रकरण में पक्षकार है निर्णय के अनुसार न तो मौके पर सर्वे किया एवं नहीं कोई विधिवत रेफरेंस हेतु कार्यवाही की। इस कारण कार्यवाही समाप्त फरमाई जावें। अतः प्रार्थना है कि जवाब रेफरेंस पेश है स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार डूंगला द्वारा गांव सेठवाना तहसील डूंगला की आराजी संख्या 820 के संबंध में प्रस्तुत रेफरेन्स आवेदन निराधार होने से निरस्त फरमाया जावें। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **2005 RRD 365, 2016(1) RRT 130, 2015(2) RRT 1130, 2005 RRD 669** व **2005 RRD 713** का अवलोकन कराया। इसी ईश्तदुआ के साथ विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

बहस के रिवटल में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि तहसीलदार डूंगला द्वारा उक्त नाला/नाली/तलाई/नाडी की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूमि को नामान्तरकरण संख्या 85 दिनांक 11.08.1966 को धन्ना पिता मोती लुहार निवासी सेठवाना के नाम दर्ज कर दी गई जो नियमों के विपरित होने से पुनः बिलानाम सरकार दर्ज की जावे ऐसा नियमन नल एण्ड वोईड होकर शून्य प्रभावी है क्योंकि बिलानाम नाला/नाली/तलाई/नाडी नियमन नहीं हो सकता है। उक्त भूमि वर्तमान जमाबंदी संवत् 2065–68 के खाता संख्या 277 अनुसार अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है जो कि इनके पास जरिये विरासत से दर्ज हुई है। परिपत्र दिनांक 16.07.2003 की पालना में जोहड, तालाब, नाडी, आदि की भूमि को नियमन/आवंटन नहीं किया जा सकता है। माननीय न्यायालय राजस्थाई हाई कॉर्ट जोधपुर के निर्णयानुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील/नदी/तालाब/नाला/केचमेंट एरिया आदि जलाशयी की भूमि पर निजी खातेदारी के अधिकार उद्यभूत नहीं होते है। अतः निवेदन है कि माननीय न्यायालय राजस्थान हाई कॉर्ट जोधपुर द्वारा पारित निर्णय रिट संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार आदेश दिनांक 02.08.2004 की पालना में रेफरेंस स्वीकार कर ग्राम सेठवान तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 820 रकबा 0.7022 हैक्टेयर को बिलानाम सरकार दर्ज की जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक परिशीलन/परीक्षण/अध्ययन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। तथ्यों का गहनता पूर्वक चिंतन/मनन/परिशीलन किया गया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार डूंगला द्वारा अवगत कराया गया है कि मौजा सेठवाना तहसील डूंगला की साबिक आराजी नम्बर 820 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा किस्म नाडा दर्ज रेकार्ड रही है जिसकी पुष्ठि पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत् 2021–2024 के खाता संख्या 1 से होती है। इसके साथ ही इस तथ्य की ताईद भी होती है कि उक्त आराजी जरिये नामानतरकरण संख्या 85 दिनांक 11.08.1966 से धन्ना पिता मोती लोहार के नाम पर दर्ज रेकार्ड की गई जो कि जमाबंदी कॉलम संख्या 19 में अंकित नोट से होती है। इसके साथ ही तहसीलदार डूंगला द्वारा नामान्तरकरण संख्या 85 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई जो कि रिकार्ड पर होकर पत्रावली के हम किता है। आराजी नम्बर 820 रकबा 0.7022 हैक्टेयर वर्तमान में अप्रार्थीगण के दर्ज रिकार्ड है, उक्त अप्रार्थीगण के नाम पर दर्ज अभिलिखित आराजी संख्या 820 रकबा 0.7022 हैक्टेयर की किस्म भूमि ''**नाडा**'' है। किस्म भूमि ''**नाडा**'' है कि जो नियमों के विरूद्ध है, उक्त भूमि गत भू–प्रबंध में किस्म ''**नाडा**'' दर्ज रेकार्ड रही है जिससे उक्त भूमि व्यक्ति विशेष के खातेदारी में रहने योग्य नहीं होने से बिलानाम किये जाने हेतु प्रार्थी तहसीलदार डूंगला द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 के तहत प्रस्तुत किया गया है। हमने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की धारा 82 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 का अवलोकन किया। अधिनियम की धाराओं में निम्न प्रावधान प्रावधित किये गये हैं :-

82. Power to call for records and proceedings and reference to State Government of Board –

The Settlement Commissioner or the Director of Land Records 61[or a Collector] may call for and examine the record of any case decided or proceedings held by any revenue court or officer subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or properiety of the order passed and as to the regularity of proceedings; and, if he is of opinion that the proceedings taken or order passed by such subordinate court or officer should be varied cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board, if the case is of a judicial nature or connected with settlement, or for the orders of the State Government if the case is of a non-judicial nature not connected with Settlement;and the Board or the State Government, as the case may be, shall thereupon pass such order as it thinks fit.

232. Power to call for record and refer to the Board—

The Collector may call for and examine the record of any case or proceedings decided by or pending before and revenue court subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the order or decree passed and as to the regularity of the proceedings, and, if he is of opinion that the order or decree passed or the proceeding taken by such court should be varied, cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board shall, thereupon, pass such order as it thinks fit:

Provided that the power conferred by this section shall not be exercised in respect of suits or proceedings falling within the purview of section 239

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत जिला कलक्टर को अधीनस्थ किसी न्यायालय या राजकीय अधिकारी के द्वारा निर्णित प्रकरण या कार्यवाही के अभिलेख को मंगाने एवं परीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है, ऐसा परीक्षण इस दृष्टि से किया जाता है कि प्रश्नगत निर्णय की विधिकता, औचित्य एवं कार्यवाहियों की नियमितता रही है या नहीं, इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 232 के तहत जिला कलक्टर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित किये गये राजस्व मामलों के अभिलेख को तलब कर परीक्षण कर सकता है और परीक्षण उपरान्त अपनी राय का उल्लेख करते हुए विवादित आदेश को निरस्त/संशोधित व बदलने के लिये माननीय राजस्व मण्डल को रेफर कर सकता है। उक्त दोनों प्रावधानों में समय सीमा विहित नहीं की गई है।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अवलोकन से प्रार्थी तहसीलदार डूंगला द्वारा इस तथ्य को निर्विवाद रूप से प्रमाणित कराया गया है कि मौजा सेठवान तहसील डूंगला की हाल आराजी नम्बर 820 रकबा 0.7022 हैक्टेयर वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम पर दर्ज रिकार्ड है जिसकी पुष्ठि पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत् 2065-2068 के खाता संख्या 277 से होती है एवं इस तथ्य को अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं अपने जवाब प्रार्थना-पत्र में स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही इस नकल जमाबंदी से यह तथ्य भी प्रमाणित पाया जाता है कि आराजी संख्या 820 रकबा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

0.7022 हैक्टेयर की किस्म भूमि ''**नाडा**'' दर्ज रेकार्ड है। इसके साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणित प्रतिलिपि सवंत् 2021–2024 मौजा सेठवाना तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ के खाता संख्या 1 से यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि आराजी संख्या 820 जरिये नामान्तरकरण संख्या 085 दिनांक 11.08.1966 से अप्रार्थीगण के पिता धन्ना पिता मोती लोहार के नाम पर दर्ज रेकार्ड की गई है। नकल प्रमाणित प्रतिलिपि मौजा सेठवाना तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ संवत् 2021–2024 के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि मौजा सेठवाना की साबिक आराजी संख्या 820 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा किस्म **नाडा** दर्ज रेकार्ड रही है। इन दस्तावेजात से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य पूर्ण रूपेण साबित पाया जाता है कि मौजा सेठवाना तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 820 की किस्म भूमि नाडा दर्ज रेकार्ड रही है।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा नकल जमाबंदी/मिलान क्षेत्रफल इत्यादि राजस्व रिकार्ड से सुस्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पूर्व में किस्म नाडा की भूमि रही है। राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार किस्म तालाब पेटा की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 में निम्न प्रावधित किये गये है :–

16 Land on which Khatedari rights shall not accrue-

Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-

(iii) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

88 All roads etc. and all land which are not the property of others belong to the State

(1) All public roads, lanes, paths, bridges and ditches; all fences on or beside the all rivers, streams, lakes and tanks, all canals and watercourses, all standing and flowing water, and all lands wherever situated, which are not the property of individuals or of bodies of person legally capable of holding property are except in so far as any rights of such persons or bodies may be established in over the same and except, may be otherwise provided in any law for the time being in force, and are hereby declared to be, with all rihts in or over the same or appertaining thereto, the property of the State; and it shall be lawful for the Collector subject to the 64[order of the Commissioner] to dispose of them in such manner as may be prescribed subject always to the rights of way and all other rights of the public or of individuals legally aubsisting.

(2) Where any property or any right in over any property is claimed by or on behalf of the State or by any person as against the State, it shall be lawful for the Collector, after formal inquiry of which due notice has been given to pass an order deciding the claim.

(3) Any suit instituted in any civil court after the expiration of any year from the date of any order passed under sub-section (1) of sub-section 92) or, if one more appeals have been made against such orders within the period of limitation, then from the date of any order passed by the final appellate

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

authority, shall be dismissed (although limitation has not been set up as a defence) if the suit is brought to set aside such order or if the relief claimed is inconsistent with such order; provided that in the case of an order under sub-section (2), the plaintiff has had due notice of such order.

(4) Every person shall be deemed to have been due notice of an inquiry or order under this section, if notice there or has been given in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder.

(5) Any order passed under sub-section (1) or sub-section (2) shall be enforceable by the Collector in the prescribed manner.

प्रश्नगत भूमि पूर्व में किस्म नाडा की भूमि अंकित होने से धारा 16 अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित श्रेणी की आराजीयात है। धारा 88 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार इस प्रकार की भूमियां राजकीय भूमियों की श्रेणी में आती है, जिन पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता है।

हस्तगत प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर द्वारा परित निर्णय रिट पीटीशन संख्या 1536/2004 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में दिये गये निर्देशो की पालना में क्रम में इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1536/2004 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये हैं :–

"(3) Suggestions for restoring the catchment areas to their original shape and use:

Looking to the site visit by the State Level Expert Committee in September 2003 and General Survey Reports received from the District Collectors and Chairmen.
District Expert Committee, following suggestions are made:

1. All land shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15.8.1947 should be declared as Govt. land. Any conversions made after 15.8.1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must beamended accordingly.
2. Demarcation of catchment areas should be done by construction pillars at suitable spacing depending upon size of the catchment area with the help of G.T. sheet of scale 1:25000 or 1:50000 and/or "Water Shed Atlas of Rajasthan" prepared by the State Remote Sensing Application Centre, Jodhpur.
3. Demarcation of drainage channels –
   (i) In unhabited areas this can be done by installing pillars at suitable spacing or by constructing side wall depending upon size of drainage channel and its importance.
   (ii) In urban and rural areas, the demarcation of drainage channels must essentially be done by constructing side walls of appropriate height and thickness.
4. In the government owned lakes and other water bodies, the Khatedari rights. of private persons in their submergence area should be brought under the ownership of the government.
5. The drainage channels in the catchment areas should be got inspected byengineering professionals and Patwatis. Wherever there are obstructions innalla, it should be suitably removed by constructing culverts, deepening and widening of nallas etc.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. Wherever there are any construction activities, which may interfere with the flow of water in drainage channels, no objection certificate must be obtained from the irrigation department.
7. The Anicuts more than 2m height above deepest nalla bed should beidentified. The height more than 2m should be dismantled.
8. Wherever residential colonies have been constructed obstructing flow in drainage channels, the obstruction must be removed and nallas may be deepend and constructed
9. On the periphery of lakes, ponds, water bodies in urban and rural areas, a pucca drain should be constructed on periphery of the water body to prevent entry of domestic, industrial and other waste in the water body.
10. For soil conservation work, suitable guidelines must be issued by the "Watershed & Soil Conservation Department" so that these works make minimum possible interference with the flow of water.
11. The district administration should specify places for dumping varioustypes of waste material. If any body is found to dump the waste material in other places, particularly drainage channels, then suitable punishment should be provided in the law.
12. The government should use television, radio and newspapers to create awareness in this matter.
13. Possibility should be explored to use marble slurry as construction material, for filling depressions etc. as has been done for disposal of fly ash from thermal Power Houses.
14. The water quality of water bodies should regularly be monitored.
15. Wherever over-burden or waste materials generated from mines and processing units, have been dumped obstructing flow of water in drainage channels; diversion drains and check walls must be constructed. For that purpose, special condition should be incorporated in the lease/license agreement."
16. Having, given thoughtful consideration to the issue involved and the suggestions made, we direct the State Government to consider the recommendations of the Committee referred to above and chalk out a plan to take the effective steps. for restoring the catchment areas to their original shape. It is made clear that this order will not prevent the State Authorities from drawing up or taking further step more effectively to fulfill the object of the directions issued by this court. Three months' time is granted for giving positive shape to the suggestions. The interim order dated 9.4.2003 granted by this Court is made absolute.

माननीय न्यायालय द्वारा यहॉ स्पष्ट निर्देश प्रदान किये गये कि सरकार के स्वामित्व वाली झीलों और अन्य जल निकायों में, खातेदारी अधिकार। डूब क्षेत्र में निजी व्यक्तियों की भूमि को सरकार के स्वामित्व में लाया जाये। जहां भी आवासीय कॉलोनियों का निर्माण जल निकासी चौनलों में प्रवाह को बाधित कर रहा है, अवरोध को हटाया जाना चाहिए और नालों को गहरा और निर्माण किया जाना चाहिए। जलग्रहण क्षेत्रों को उनके मूल स्वरूप में बहाल करने के लिए। यह स्पष्ट गया है। माननीय न्यायालय के निर्देशों के क्रम में ही राजस्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक प. 6(16)राज–6/99/9 दिनांक 16.07.2003 से प्रचारित किया गया है कि जोहड गबाई तालाब नाडी आदि जल संग्रहण कार्यो हेतु उपयोग में आने वाले

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूमि तथा जल ग्रहण कार्यों के जो जल प्रवाह क्षेत्र में है आदि भूमियों का भविष्य में निर्माण कार्यों हेतु आवंटन नहीं किया जावें उन्हे फ्री रखा जावें।

इसी क्रम में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर बैंच द्वारा डी.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 29.05.2012 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में राजस्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक प. 10(03)राज–6/01/पार्ट/17 दिनांक 23.09.2011 से प्रचारित किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमियों, जिनमें खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकते का आवंटन अवैध है। ऐसा देखने में आया है कि जिला कलेक्टरों द्वारा एवं उनसे नीचे के अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित श्रेणी की भूमियों का आवंटन किया जा रहा है। अतः निर्देशित किया जाता हैं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमियों का आवंटन किसी भी दशा में नहीं किया जावें। यदि पूर्व में कोई आवंटन कर दिये गये हो तो विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर निरस्त करावे तथा बेदखली की कार्यवाही करें। निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जायेगा।

माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर बैंच द्वारा डी.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 29.05.2012 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये है :–

2 Instructions be issued restraining allotment of land falling in catchment areas of water reservoirs like Johar, Nala, Tank, river, pond etc. Infringement of instructions should be viewed seriously with follow-up action against the defaulting officers and the beneficiaries so that tendency of illegal allotment of land may be stopped at all levels.

3. Action may be taken for cancellation of allotments made in violation of section 16 of the Act of 1955 and other Rules and Regulations. Presently, details of the references sent to the Board of Revenue in regard to Ramgarh dam catchment area have been furnished to this court which are more than 400 by now. Similar drive for making reference to the Board of Revenue in regard to catchment areas of other water reservoirs in the State of Rajasthan should be taken up so that with the cancellation of illegal allotments followed by removal of encroachments, water may flow to reservoirs like river, dam, nala, pond, Johar etc without obstruction.

माननीय न्यायालय द्वारा यहॉ स्पष्ट निर्देश प्रदान किये गये कि जोहड़, नाला, टैंक, नदी, तालाब आदि जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों में आने वाली भूमि के आवंटन पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए जाएं। निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए दोषी अधिकारियों और लाभार्थियों के खिलाफ अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि अवैध की प्रवृत्ति को रोका जा सके। हर स्तर पर भूमि आवंटन रोका जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं अन्य नियम एवं विनियम के उल्लंघन में किये गये आवंटन को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी। वर्तमान में, रामगढ़ बांध जलग्रहण क्षेत्र के संबंध में राजस्व मंडल को भेजे गए संदर्भों का विवरण इस न्यायालय को प्रस्तुत किया गया है, जो अब तक 400 से अधिक हैं। राजस्थान राज्य में अन्य जल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों के संबंध में राजस्व बोर्ड को संदर्भित करने के लिए इसी तरह का अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि अवैध आवंटन को रद्द करने और अतिक्रमण हटाने के साथ नदी जैसे जलाशयों में पानी प्रवाहित हो सके। बांध, नाला, तालाब, जोहड़ आदि बिना रुकावट के।

2019 SSC Online SC 1510 जितेंद्र सिंह बनाम पर्यावरण मंत्रालय और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ग्राम समुदायों में निहित सामान्य भूमि से संबंधित मुद्दे में निर्देशित किया गया है :–

Protection of such village-commons is essential to safeguard the fundamental right guaranteed by Article 21 of our Constitution. These common areas are the lifeline of village communities, and often sustain various chores and provide resources necessary for life. Waterbodies, specifically, are an important source of fishery and much needed potable water. Many areas of this country perennially face a water crisis and access to drinking water is woefully inadequate for most Indians. Allowing such invaluable community resources to be taken over by a few is hence grossly illegal."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए ऐसे ग्राम–सामुदायों की सुरक्षा आवश्यक है। ये सामान्य क्षेत्र ग्राम समुदायों की जीवन रेखा हैं, और अक्सर विभिन्न कार्यों को पूरा करते हैं और जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं। जल निकाय, विशेष रूप से, मत्स्य पालन और अत्यधिक आवश्यक पीने योग्य पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इस देश के कई क्षेत्र हमेशा जल संकट का सामना करते हैं और अधिकांश भारतीयों के लिए पीने के पानी तक पहुंच बेहद अपर्याप्त है। इसलिए ऐसे अमूल्य सामुदायिक संसाधनों पर कुछ लोगों को कब्ज़ा करने की अनुमति देना पूरी तरह से अवैध है।

हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी की और से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **2011(1) RRT 87** एवं **2020(4) DNJ (Raj.) 897** हस्तगत प्रकरण की विषय वस्तु पूर्ण रूपेण से पृथक–पृथक है। उक्त न्यायिक दृष्टांत के तथ्य एवं विषय वस्तु किसी भी प्रकार से एक आधार पर आधारित नहीं किया सकता है एवं उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पांगी नहीं होते है। इसके साथ ही अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब के साथ मियाद के तथ्य को उठाया जाकर 28 वर्षो के विलम्ब का तथ्य उठाया गया है। इस संबंध में हमारा ठोस अभिमत है कि अधिनियम 1955 की धारा 232 एवं अधिनियम 1956 की धारा 82 उक्त दोनों प्रावधानों में विधि द्वारा किसी भी प्रकार से कोई समय सीमा विहित नहीं की गई है।

हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित पाया गया है कि आराजीयात जैरबहस मौजा सेठवाना तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 820 रकबा 0.7022 हैक्टेयर वर्तमान में अप्रार्थीगण के दर्ज रिकार्ड है की किस्म भूमि नाडा दर्ज रेकार्ड रही हैं, ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान के विचारण योग्य प्रतीत होता है एवं प्रार्थी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा राजस्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक प. 10(03)राज–6/01/पार्ट/17 दिनांक 23.09.2011

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के क्रम में प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के विचारण योग्य प्रकरण होने से मौजा सेठवाना तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ की हाल आराजी नम्बर 820 रकबा 0.7022 हैक्टेयर के आवंटन/नियमन को निरस्त किये जाने की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 232 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत अनुशंषा की जाकर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को को प्रेषित किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तहसीलदार डूंगला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया जाता है मौजा सेठवाना तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ की हाल आराजी नम्बर 820 रकबा 0.7022 हैक्टेयर जो कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम पर दर्ज अभिलिखित है कि खातेदारी समाप्त किये जाने बाबत् रेफरेंस माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को मय अनुशंषा के प्रेषित है। पत्रावली का मुसन्ना कायम किया जाकर हस्तगत मूल पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाई जावें। इसके साथ ही तहसीलदार डूंगला को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में राज्य पक्ष की प्रभावी पैरवी हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। निर्णय की प्रति प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार डूंगला को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने बाबत् प्रेषित की जावें। इस न्यायालय से पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे तद्नुसार अभिलेखों में अंकन किया जावें।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **01.02.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official